संख्या: 147/2026/790/आठ-1-26-1723172

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2026

विषयः- **लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु कुकरैल नाले पर पुल का निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति (2026-27) के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-**26/2024/156**/आठ-1-24-1099/49/2023, दिनांक 26 फरवरी, **2024** एवं संख्या-**94/2024/1172**/आठ-**1-24-1099/49/2023,** दिनांक **10.12.2024** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु कुकरैल नाले पर पुल का निर्माण कार्य संबंधी परियोजना** की मूल्यांकित लागत रू **4829.24** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 4587.00 लाख (रूपये पैतालीस करोड़ सत्तासी लाख मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

2- इस संबंध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-195/वी0सी0/इ0इ0जी0सी0/26, दिनांक 07 जुलाई, **2026** एवं पत्र संख्या-152/वी0सी0/इ0इ0जी0सी0/26, दिनांक 20 जून, **2026** द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु कुकरैल नाले पर पुल का निर्माण कार्य संबंधी परियोजना** की मूल्यांकित लागत रू **4829.24** लाख तत्क्रम में परियोजना की समापन/कम्प्लीशन धनराशि रू0 4588.66 के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0 1.66 लाख (रूपये एक लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं-:

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) कार्य की द्विरावृति को रोकने के दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित है।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां (सिंचाई, लोक निर्माण एवं यातायात विभाग) व पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(10) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देद्श्य से किया गया है। प्रायोजना कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) प्रायोजना में प्रस्तावित एस्केलेशन 5 प्रतिशत प्रति वर्ष (2 वर्ष) को अनुमन्य नहीं किया गया है।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। कुकरैल ब्रिज निर्माण की जी0एच0डी0 लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, एबेटमेंट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026,** दिनांक **28** मार्च, **2026** तथा यथा संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्याः **4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024,** दिनांकः **19** जून, **2024** में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(19) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,66,000 (रूपये एक लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-002 लेखा शीर्षक 4217608000500 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026,** दिनांक **28** मार्च, **2026** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या:147/2026/790(1)/आठ-1-26-1723172. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 **ddoawash@gmail.com** पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाता संख्या में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in